न्यायालय, जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–।, हिलसा (नालन्दा)

कि0मिस0 आवेदन सं–12/2026
कि0मिस0 आवेदन सं–14/2026

रौशन कुमार वगैरह बनाम बिहार राज्य

05.06.2026 आवेदकगण क्रमशः **रौशन कुमार, दीपक कुमार दोनों पे0 संजय यादव, सुमन देवी पति स्व0 महेन्द्र यादव एवं रंजीत कुमार पे0 स्व0 महेन्द्र यादव** की ओर से दाखिल आपराधिक विविध वाद को उनके विद्वान अधिवक्ता क्रमशः श्री विकास आनन्द एवं श्री सुरेन्द्र प्रसाद द्वारा संचालित किया गया, जो ए0बी0पी0 नं–800/2025 (खुदागंज थाना काण्ड सं–115/2025 अन्तर्गत धारा–190,191(2),126(2),115(2), 109,303(2),352,351(2) बी0एन0एस0) से संबंधित है।

आवेदक/अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा सुनवाई के क्रम में निवेदन किया गया है कि आवेदकगण को ए0बी0पी0 नं–800/2025 से दिनांक 26.11.2025 को अग्रिम जमानत की सुविधा दी गई थी लेकिन आवेदक रंजीत कुमार के खुदागंज थाना काण्ड सं–199/25 में गिरफ्तार हो जाने के कारण एवं आवेदकगण रौशन कुमार, दीपक कुमार, सुमन देवी के पैरवीकार संजय यादव के खुदागंज थाना काण्ड सं–199/25 में ही गिरफ्तार हो जाने तथा आवेदकगण के चेन्नई मजदूरी करने के लिए चले जाने के कारण समय–सीमा के अन्दर न्यायालय में समर्पण नहीं कर सके। आवेदकगण को भी उक्त मुकदमा में नामजद अभियुक्त बना दिया गया था, जिसमें जमानत पर मुक्त हो चुके हैं। इन तर्को के आलोक में ए0बी0पी0 नं–800/2025 में दिनांक 26.11.2025 को पारित आदेश के आलोक में बन्धपत्र दाखिल करने हेतु एक समय विस्तारित किये जाने का निवेदन करते हैं।

विद्वान प्रभारी अपर लोक अभियोजक द्वारा उक्त निवेदन पर कोई आपत्ति नहीं किया गया।

उभय पक्षों को सुना एवं अभिलेख का अवलोकन किया, जिससे विदित होता है कि आवेदकगण को ए0बी0पी0 नं–800/2025 से दिनांक 26.11.2025 को अग्रिम जमानत की सुविधा की गई थी लेकिन आवेदकगण निर्धारित समय के अन्दर न्यायालय में समर्पण नहीं कर सके। आवेदकगण पूर्व से अग्रिम जमानत पर है और समय–सीमा के भीतर समर्पण न कर पाने का कारण स्पष्ट किये हैं। ऐसी स्थिति में ए0बी0पी0 नं–800/2025 में दिनांक 26.11.2025 को पारित आदेश को आज की तिथि से एक सप्ताह के लिए विस्तारित किया जाता है। शेष शर्ते पूर्ववत् रहेगी।

(लेखापित)

Pandey

(आलोक कुमार पाण्डेय–।)
जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–।, हिलसा